

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ**अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या- 1285 वर्ष 2026**

श्रीमती सुनीता और 4 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

सुभाष एवं 13 अन्य

.....विपक्षी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : चन्द्र भानु सिंह

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या – 5**माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सी. बी. सिंह को सुना गया।
2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के मददेनजर, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने से छूट दी गई है।
3. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ग्राम बहादुरपुर दा जायस, परगना रोखा, तहसील तिलोई, जिला अमेठी के स्थायी निवासी हैं और विवादित संपत्ति, जो याचिकाकर्ताओं की विवादित भूमि का विषय है।
4. यह प्रस्तुत किया गया है कि शिव बालक (वादी) ने 4 लोगों अर्थात् श्रीमती छंगा, श्रीमती. पियारा, राजा राम और बाबू लाल के खिलाफ सिविल जज (जू०डी०), डलमऊ, रायबरेली के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान राजा राम और बाबू लाल यानी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से एक लिखित कथन यह कहते हुए दायर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया था कि प्रश्नगत संपत्ति पर उनका कोई अधिकार, हित या विवाद नहीं है और विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में बयान देते हैं, जो उनके अनुसार विवादित संपत्ति के कब्जे में था। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान विपक्षी संख्या 3 राजा राम की 18.08.2010 को मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किया गया, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/7 बनाया गया और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता हैं और इसी तरह बाबू लाल की 12.05.2022 को मृत्यु हो गई और प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात्, बाबू लाल के संबंध में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में वादी द्वारा विपक्षी संख्या 3/1 से 3/7 को हटाने के लिए आवेदन संख्या 111 प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन में कहा गया था कि एक बार प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से लिखित बयान दाखिल किया जा चुका है, स्पष्ट रूप से यह कहते हुए कि वे विवादित मुकदमे की संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और आगे कहा है कि यह विपक्षी संख्या 2 अर्थात् श्रीमती पियारा है, जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है और विपक्षी संख्या 3/1 से 3/7 के खिलाफ वादी के लिए कार्रवाई का कारण समाप्त हो गया है और परिणामस्वरूप उसने *डोमिनस लिटिज़* के रूप में अपने अधिकारों का दावा किया और विपक्षी संख्या 3 से विपक्षी संख्या 7 को हटाने के लिए प्रार्थना की।

6. विचारण न्यायालय ने वादी के आवेदन पर विचार करते हुए आदेश दिनांक 24.09.2024 के माध्यम से इसकी अनुमति दी। दिनांक 24.09.2024 के आदेश से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने जिला न्यायाधीश, रायबरेली के समक्ष अपील दायर की थी। उक्त अपील में, यह कहा गया था कि वादी का आधार, आवेदन संख्या 111 क प्रस्तुत करते समय याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती की ओर से दायर लिखित बयान था, जिन्होंने कहा था कि वे विवादित संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रहे हैं और प्रतिवादी संख्या 2- श्रीमती पियारा के खिलाफ आरोप लगाए थे। अपील में कहा गया कि उक्त हलफनामा जाली और काल्पनिक है और लिखित बयान विवादित है।

7. अपीलीय अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार किया और इस तथ्य से प्रभावित हुई कि वादी *डोमिनस लिटिस* था और उसके पास किसी भी पक्ष को जोड़ने और हटाने का अधिमान्य अधिकार है। इसके अलावा, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के प्रावधानों पर भरोसा किया, जहां मुकदमे की कार्यवाही में किसी भी पक्ष को जोड़ने और हटाने का विवेक निहित है और परिणामस्वरूप यह माना गया कि वादी ने *डोमिनस लिटिस* के रूप में अपने विवेक का प्रयोग किया है और इसमें कोई कमजोरी नहीं है और तदनुसार विचारण न्यायालय के आदेश, दिनांक 24.09.2024 की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया।

8. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दिनांक 24.09.2024 और 01.12.2025 के दोनों आदेशों की आलोचना करते हुए प्रस्तुत किया है कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं को पक्षकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो मुकदमे की कार्यवाही में प्रतिवादी, याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती द्वारा दायर लिखित कथन की वैधता पर दावा या खंडन नहीं कर पाएंगे।

9. यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त लिखित कथन दिनांक 05.12.1997 को मुकदमे की कार्यवाही में दायर किया गया था और इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ताओं ने राजा राम की मृत्यु को प्रतिस्थापित किया है, लेकिन उन्होंने 05.12.1997 को दायर लिखित बयान की सामग्री पर कभी आपत्ति नहीं जताई या विवादित नहीं किया, यह पहली बार है, यह आधार अपीलीय अदालत के समक्ष लिया गया था।

10. मामले के किसी भी दृष्टिकोण से केवल इसलिए कि लिखित कथन याचिकाकर्ताओं के अनुरूप नहीं है, यह कहने का आधार नहीं हो सकता कि उक्त लिखित बयान जाली और मनगढ़ंत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था। इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि हलफनामा पूर्व-हित में दायर किया गया था और मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता राजा राम के उत्तराधिकारी और कानूनी उत्तराधिकारी हैं, उक्त लिखित कथन की सामग्री से बंधे हैं।

11. उपरोक्त के अलावा, मुझे लगता है कि वादी अपने अधिकार में *डोमिनस लिटिज* के रूप में अपने विवेक से किसी भी पक्ष को मुकदमे की कार्यवाही में शामिल कर सकता है या हटा सकता है और यदि विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित किया जाता है कि आवश्यक और उचित पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो निश्चित रूप से यह विचारण न्यायालय के लिए खुला है कि वह आवश्यक पक्षों के शामिल न होने पर मुकदमे को खारिज कर दे, लेकिन मामले के किसी भी दृष्टिकोण में वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 प्रावधानों के अधीन, मुकदमे की कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति को प्रतिवादी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

12. उपरोक्त परिस्थितियों में, मुझे विचारण न्यायालय के आदेश, दिनांक 24.09.2024 के साथ-साथ अपीलीय अदालत के आदेश, दिनांक 01.12.2025 में कोई कमी नहीं दिखती है।

13. उपरोक्त कारण से, मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं मिलता है, याचिका योग्यता से रहित है और तदनुसार **खारिज** कर दी जाती है।

मार्च 25, 2026

मूक/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।